

कार्यकारी सार

स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) और स्रोत पर संग्रहीत कर (टीसीएस) आयकर विभाग (आईटीडी) के पास वह साधन हैं जिन्हें करदाताओं से सरकार को देय कर के तुरन्त और कारगर संग्रहण के लिए बनाया गया है। टीडीएस और टीसीएस सरकार को लेनदेन के समय ही राजस्व संग्रहण और कर अपवंचन रोकना सुनिश्चित करने में सरकार की सहायता करते हैं।

टीडीएस/टीसीएस संग्रहण के नियमित अन्तर्वाह से सरकारी खातों में राजस्व का अच्छा प्रवाह सुनिश्चित होता है और राजकोष के प्रबन्धन में सहायता मिलती है। टीडीएस/टीसीएस प्रावधान करदाताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के ऊपर पर भी कटौती और कर जमा करने का उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं।

हमने टीडीएस/टीसीएस योजनाओं के कार्यान्वयन पर यह मूल्यांकन करने के उद्देश्य से निष्पादन लेखापरीक्षा किया (क) टीडीएस/टीसीएस से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में सभी हितधारकों की प्रभावकारिता; (ख) टीडीएस/टीसीएस नेटवर्क में विस्तार करने के लिए आयकर विभाग द्वारा किए गए प्रयास; (ग) ई-टीडीएस योजना का कार्यान्वयन; और (घ) टीडीएस/टीसीएस में लेखाकरण प्रक्रिया की सटीकता।

हमने शामिल किया (i) कर कटौतीकर्ताओं द्वारा दाखिल टीडीएस विवरणियों पर तत्संबंधी निर्धारण अधिकारी (टीडीएस) द्वारा प्रसंस्कृत सत्यापन आदेश (ii) वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रसंस्कृत/समाप्त निर्धारिती द्वारा दाखिल आयकर विवरणी पर क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा पूर्ण किए गए निर्धारण आदेश तथा चयनित 150 टीडीएस सर्कल/वार्डों में से कुल 7,489 सत्यापन आदेशों का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए किया गया था। हमने उसी अवधि के लिए टीडीएस प्रावधानों से संबंधित निर्धारण प्रभारों में क्षेत्राधिकारी एओ द्वारा पूर्ण किए 2,332 निर्धारण आदेशों का भी सत्यापन किया। हमने नवम्बर 2015 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ एट्री कांफ्रेंस किया जिसमें हमने लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा जांच के मुख्य क्षेत्रों की व्याख्या की। हमने मंत्रालय के उत्तरों के प्रति लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए दिसम्बर 2016 में सीबीडीटी के साथ एक्जिट कांफ्रेंस किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार:

क. हमने 168 मामले देखे जहां, एओ (टीडीएस) कर कटौतीकर्ताओं की चूक पर धारा 201(1ए)/206सी(7) के तहत ₹ 902.16 करोड़ राशि का ब्याज लगाने में विफल रहा। हमने कर कटौतीकर्ताओं के प्रति धारा 271सी/271सीए तथा 276बी/276बीबी/278ए के तहत जुर्माना और अभियोग न लगाने के क्रमशः 311 मामले और 343 मामले देखे। हमने 128 मामलों में देखा कि एओ ने व्यय को गैर अनुमत नहीं किया जबकि स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी या कटौती की गई थी लेकिन निर्धारिती द्वारा जमा नहीं कराई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,026.42 करोड़ कर की कम उगाही हुई। 108 मामलों में, हमने देखा कि कटौतीकर्ता अचल संपत्ति की बिक्री पर स्रोत पर कटौती करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.69 करोड़ के स्रोत पर कर की कटौती नहीं हुई/कम हुई। हमने 369 मामलों में निर्धारण इकाइयों और टीडीएस इकाइयों के बीच समंवय की कमी भी देखी जहां अधिनियम के विभिन्न टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सूचना साझा नहीं की जा रही थी। हमने 27 मामले देखे जहां एओ नियमित निर्धारण के दौरान उपलब्ध निर्धारिती की आय की सूचना का उपयोग करने में विफल रहे (पैराग्राफ 2.2 से 2.8)।

ख. हमने देखा कि सीबीडीटी द्वारा टीडीएस विवरणियों के सत्यापन के चयन हेतु मापदण्ड नहीं बनाए गए थे। हमने पाया कि लगभग 50 प्रतिशत से अधिक आयकर आयुक्त (टीडीएस) प्रभारों में सर्वेक्षण किए जाने हेतु वार्षिक लक्ष्य संख्या या तो निर्धारित नहीं की गई थी/उपलब्ध नहीं थी अथवा शून्य थी और सर्वेक्षण करने के लिए लक्ष्य निर्धारण के प्रति आईटीडी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं था। हमने यह भी देखा कि आईटीडी कर कटौतीकर्ताओं को “कर कटौती/संग्रहण खाता संख्या” (टैन) आबंटित करने से पूर्व पर्याप्त “अपने ग्राहक को जानिये” (केवाईसी) नहीं कर रहा था और इसलिए सभी टीडीएस चूककर्ताओं का पता लगाने में समर्थ नहीं था (पैराग्राफ 3.3 से 3.5)।

ग. हमने देखा कि निहित टीडीएस राशि के साथ-साथ चालानों की संख्या के संदर्भ में अप्रयुक्त चालानों की संख्या बहुत अधिक थी और सभी एओ द्वारा अप्रयुक्त चालानों की टैगिंग का उपयोग नहीं किया जा रहा था। हमने यह भी देखा कि निपटानयोग्य मांग की वसूली हेतु केंद्रीय प्रक्रमण सेल (टीडीएस) पर एओ (टीडीएस) हेतु उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग न करने तथा

कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट से चूक को दूर करने की संख्या बहुत अधिक थी (पैराग्राफ 4.2 से 4.4)।

घ. हमने पाया कि फार्म 24जी में राज्य सरकार एकाउंट ऑफिस आइडेण्टीफिकेशन नम्बर (एआईएन) द्वारा बताई गई राशि राज्य के महालेखाकारों द्वारा बताई गई राशि से बहुत भिन्न थी जो सरकारी कटौतीकर्ता के आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (जी-ओल्टास) का गैर-मिलान दर्शाती है। हमने पाया कि 18,703 एआईएन धारक द्वारा फार्म 24जी विलम्ब से दिया गया था। हमने पाया कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान 19.3 प्रतिशत एआईएन निष्क्रिय थे और सरकारी चूककर्ताओं के मामले में चूक उसी अवधि के दौरान सभी श्रेणी के कटौतीकर्ताओं द्वारा कुल चूक का 42.3 प्रतिशत था (पैराग्राफ 5.2 से 5.5)।